हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों की नवीन मान्यता अपील समिति की बैठक दिनांक 08.07.2013 का

क्र.	संस्था का नाम	अमान्य/प्रकरण में पाई गई कमियां	अपीलीय अभ्यावेदन के संबंध में समिति का परीक्षण	स्वीकृत/अस्वीकृत/विचार
1	वान्दे इंटरनेशनल स्कूल कोह ए-फिजा भोपाल	1. संस्था का किरायानामा पंजीकृत एवं पूर्ण समयावधि के लिये नही है। 2 पुस्तकालय, प्रयोगशाला कक्षों के रंगीन छायाचित्र नही है। 3. प्रायोगिक उपकरणे एव पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची नही है. 4 संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नही होने संबधी शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-59 से 146 पर सहयोजित है। 2 किरायानामा पंजीकृत एवं पूर्ण समयावधि का प्राप्त है। संयुक्त संचालक से अभिलेखो का सत्यापन कराके प्राप्त किया जाए। 3 पुस्तकालय, प्रयोगशाला की फोटो संलग्न है। प्रायोगिक उपकरणों की सूची एवं पुस्तकों की सूची संलग्न है। 4. संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नही होने सबधी शपथ पत्र प्राप्त है।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक मे प्रस्तुत करे।
2	रेवांचल हाईस्कूल बानापुरा सिवनी मालवा होशंगाबाद	1. जिला समिति द्वारा संस्था ने साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नही होना एवं अनुशंसा प्रतिवेदित नही की गई है। 2 आडिट रिपोर्ट नही है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-63 से 118 पर सहयोजित है। 2. आडिट रिपोर्ट प्राप्त संलग्न है पेज-119 से 122। 3. जिला समिति के प्रतिवेदन में अभिमत स्पष्ट नही है। इस संबंध में सबंधित संयुक्त संचालक होशंगाबाद से स्थल जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर आगामी बैठक के पूर्व प्रस्तुत किया जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
3	सेंट ऐस इंग्लिश मीडियम हाईस्कूल हरदा	1 विज्ञान संकाय के नाम से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान कक्षों की पृथक-पृथक व्यवस्था संबधी प्रमाण प्रस्तुत नही है।2 जिला समिति की अनुशंसा नही है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-60 से 71 पर सहयोजित है। 2. प्रतिवेदन के अनुसार प्रयोगशाला कक्ष पर्याप्त है एवं अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा नवीन मान्यता देने की अनुशंसा की गई है। पेज-3 3 संलग्न नक्शा में प्रयोगशाला 350 स्क्वायर वर्ग फिट है, जो पर्याप्त है। 4 खेल मैदान 100x45 वर्ग फीट है। मापदण्डों की पूर्ति करना है।	स्वीकृत

4	वेलफेयर हाईस्कूल अकबरपुर खालसा ग्वालियर	1 पंजीकृत दस्तावेज मे भवन निर्मित व शेष खुली भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख नही है, भवन के प्राप्त नक्शा मे भी खुली भूमि का उल्लेख नही है। 2 समिति सदस्यो शिक्षको के छायाचित्र मान्यता विनियम के अनुसार भवन के सामने खडे होकर खिचे गये फोटो वास्तविक नही है। 3. भवन की छायाचित्र से स्पष्ट है संस्था भवन से लगी खुली भूमि नही है। 4 खेल मैदान पृथक से बताया गया है, जिसका छायाचित्र सलग्न है। 5. प्रार्थना करते हुये छात्रों के छायाचित्र अप्राप्त है। संस्था के पत्र दिनाक 25.04.13 के अनुसार संस्था मे छात्र नही है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-102 से 118 पर सहयोजित है। 2 जिला समिति से प्राप्त प्रतिवेदन मे कुल भूमि 36125 वर्गफुट, भवन का निर्मित क्षेत्रफल 10500 वर्गफुट एव खुली भूमि 25625 वर्गफुट है। प्रतिवेदन जिला समिति से अनुशंसित है पेज–4। 5 अपील अभ्यावेदन के साथ आवश्यक फोटोग्राफ पेज–105 से 111 पर संलग्न है।	स्वीकृत
5	सेंट अगस्टिन को–एड स्कूल पिपलानी भोपाल	1. विनियम अनुसार शाला भवन के फोटो एवं अध्यापन कक्षों के रंगीन छायाचित्र नही है। 2. सुरक्षा एव अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था के प्रमाण नही है। 3. इन्डोर खेलों के छायाचित्र नही है।4. संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नही होने संबधी शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है।	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज–54 से 95 पर सहयोजित है। 2. प्रकरण में उल्लेखित कमियों की पूर्ति संस्था द्वारा की गई है जिसकी पुष्टि कार्यालयीन टीप N–3 से होती है। प्रकरण मापदण्ड अनुसार पूर्ण है। 3. जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा है।	स्वीकृत
6	सिटी चिल्ड्रन स्कूल सिकन्दर कम्पू लश्कर ग्वालियर म.प्र	1.विद्यालय मे अध्यापन कक्ष छोटे–छोटे है, भवन हाईस्कूल के मान से पर्याप्त नही है। खुली भूमि 800 वर्गफुट है जो मान्यता मापदण्ड के अनुसार पर्याप्त नही है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज–270 से 351 पर सहयोजित है। 2 अध्यापन कक्ष की फोटो पेज–346। 3 नस्ती मे उपलब्ध किरायानामा के अनुसार संस्था का कुल क्षेत्रफल 4500 वर्गफुट है जिसमें से 2500 वर्गफुट पर भवन निर्मित है एवं 2000 वर्गफुट खुली भूमि है, विनियम अनुसार हाईस्कूल के मान से संस्था का भूमि/भवन पर्याप्त है किंतु उपरोक्त पंजकृत अभिलेखों के संबंध में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण से प्रतिवेदन प्राप्त कर आगामी बैठक मे प्रस्तुत करे।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक मे प्रस्तुत करे।

7	राज नदिर पब्लिक स्कूल नागौद सतना	1. समन्त मान्यता हेतु प्रस्तुत दस्तावेज संस्था अध्यक्ष/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित नही है। 2 संस्था भवन का पृथक से छायाचित्र प्रस्तुत नही है।	1 अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज 107 से 126 पर सहयोजित है। 2 समिति अध्यक्ष द्वारा फोटोग्राफ सत्यापित किए गए है एव शाला भवन के पीछे का फोटो पी–111 पर सलग्न। 3 जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा है।	स्वीकृत
8	नवजागृति हाईस्कूल कुबरी सीधी	1. भूमि/भवन का अभिलेख अप्राप्त, भूमि का खसरा व्यक्तिगत नाम से है। 2. सभी छायाचित्र अप्राप्त है। 3 फर्नीचर एव पुस्तकों की सूची अप्राप्त है। 4. भवन का नक्शा सक्षम अधिकारी से प्रमाणित नही है।	1 अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज–40 से 82 पर सहयोजित है। 2. भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा पेज 45 से 51 पर संलग्न है जिसमें 0.01 हेक्टर पर दो मंजिला पक्का मकान बना है पेज–45 एवं 0.06 हेक्टर भूमि है पेज–47 और भूमि/भवन का नक्श पेज–82 पर संलग्न है। फर्नीचर की सूची, पुस्तकों की सूची एवं पुस्तकालय की फोटो पेज–56 से 58। आवश्यक फोटोग्राफ प्राप्त है। 3. जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुसंशित।	स्वीकृत
9	लोटस इंग्लिश स्कूल लखनादौन सिवनी	1. निर्मित क्षेत्रफल तथा खुली भूमि का पंजी किरायानामा नहीं। 2. पुस्तकों की सूची, आडिट रिपोर्ट नहीं। 3. प्रार्थना करते छात्रो के फोटो व आपराधिक पृष्ठभूमि का शपथ पत्र नहीं।	1. मूल नस्ती में सलग्न किरायानामा अनुसार भवन का निर्मित क्षेत्रफल 6825 वर्गफुट एवं खुली भूमि 33200 वर्गफुट है (पी–2) 2 पुस्तकों की सूची नस्ती मे पी–26 से 28 तक सलग्न। 3. आडिट रिपोट पी–36 से 39 तक। 4 आपराधिक पृष्ठभूमि का शपथ पत्र पी–49 एव छात्रों के प्रार्थना करते फोटो पी 29 नस्ती मे संलग्न है। नस्ती की टीप N–4/5 के अनुसार प्रकरण पूर्ण है। 5. जिला स्तरीय समिति से अनुसशित।	स्वीकृत
10	अखण्ड ज्योति हाईस्कूल नागौद सतना	1 मापदण्ड के अनुसार कुल भूमि 5600 वर्गफीट नही है, खुली भूमि का पंजीकृत किरायानामा नही है।	1. अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज–51 से 65 पर सहयोजित है। 2 भूमि सबधी जानकारी के सत्यापन का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी/सयुक्त सचालक लोक शिक्षण के माध्यम से प्राप्त की जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक मे प्रस्तुत करें।

11	स्वामी निर्मलानन्द हाईस्कूल रना अटैर भिण्ड	1 जिला समिति द्वारा संस्था में फर्नीचर आदि की व्यवस्था न होने के कारण अनुशंसा नही की है। 2 छात्रों की बैठक व्यवस्था संबंधी फोटोग्राफ्स मे छात्र जमीन पर बैठे है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज–165 से 167 पर सहयोजित है। 2. अध्यापन कक्षो की फोटो जिसके अनुसार छात्र फर्नीचर पर बैठे है पेज–166 से 167। 3. जिला समिति की अनुशसा है।	स्वीकृत
12	कोपल ज्ञान बिहार सर्वर रातीबड भोपाल	1 भूमि/भवन के पजीकृत दस्तावेज जिसमें भवन का निर्मित क्षेत्रफल, खुली भूमि का क्षेत्रफल एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो प्रस्तुत नही है। 2. समिति पदाधिकारियो का शाला भवन के सामने खीचा गया रगीन छायाचित्र नही है। 3. पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं अग्निशमन यत्र के रंगीन छायाचित्र नही है। 4 इन्डोर खेल के फोटो नही है 5. फर्नीचर की सूची एवं आडिट रिपोर्ट नही है। 6 संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नही होने संबधी शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज-23 से 58 पर सहयोजित है। 2. पुस्तकालय ,प्रयोगशाला, इन्डोर खेल एव अग्निशमन यंत्र की फोटो पेज–31 से 34 पर संलग्न। समिति पदाधिकारियों का शाला भवन के सामने का फोटो पेज 58, आडिट रिपोर्ट पेज 36 से 41 पर संलग्न, फर्नीचर की सूची पेज–43 एवं संस्था के पदाधिकारियों एवं स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नही होने सबंधी शपथ पत्र पेज–44 पर संलग्न है। 3. भूमि/भवन के पंजीकृत किरायानामा सलग्न प्राप्त है पेज–45 से 57। प्रतिवेदन अनुसार भवन का निर्मित क्षेत्रफल 2564 वर्गफुट एव खुली भूमि का क्षेत्रफल 5468 वर्गफुट है। उपरोक्त पजीकृत अभिलेखों का सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी /संभागीय सयुक्त संचालक लोक शिक्षण से करायें।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
13	रानी अवंति बाई पब्लिक हाईस्कूल आर.जे.पुरम भिण्ड रोड ग्वालियर	1 जिला समिति के द्वारा भ्रमक जानकारी देने का उल्लेख किया गया है एव मान्यता नही दिये जाने की अनुशसा की है। 2 प्रस्तुत छायाचित्र से शाला भवन से लगी खुली भूमि होना प्रतीत नही हो रही है। 3. कृषि सकाय हेतु योग्य शिक्षक नही है। 4. पुस्तकालय की फोटो बनाई गई प्रतित हो रही है। 5 समिति के अनुसार फर्नीचर	1 नस्ती मे उलब्ध कमीपूर्ति के अभिलेख सहपत्र पेज–76 से 109 पर सहयोजित है। 2 खुली भूमि के पंजीकृत अभिलेख पेज–77 से 81 पर सलग्न है। फर्नीचर की सूची पेज–109 पर सलग्न, पुस्तकालय की फोटो पेज–108 पर संलग्न है। 3 कृषि सकाय के लिए स्टाफ सूची पेज–107 पर संलग्न है।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।

		आदि प्राप्त नही है।	4 अधीक्षक भू–अभिलेख के प्रतिवेदन के आधार पर जिला समिति द्वारा अनुशसा नही की गई है, कोई भी तथ्यात्मक आधार उल्लेखित नही है, जबकि संस्था द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए गए है पुन अनुविभागीय अधिकारी / सभागीय सयुक्त सचालक लोक शिक्षण से सत्यापन कराया जाये।	
14	सदीप कन्या हायर सेकण्डरी स्कूल इंदरा नगर हजीरा ग्वालियर	1. संस्था भवन के सामने पदाधिकारियों एवं स्टाफ की फोटो, प्रार्थना करते समय की फोटो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की फोटो, दो अध्यापन कक्षों की फोटो, दो इन्डोर खेलों की फोटो, मान्यता मापदण्ड के अनुसार अप्राप्त है। प्राप्त फोटो विधिवत नही है। 2. संस्था में पेयजल फर्नीचर, सुरक्षा, अग्निशमन यत्र दो इन्डोर खेल की जानकारी अप्राप्त है। 3 आडिट रिपोर्ट अप्राप्त है।4. संस्था के पदाधिकारियो एवं स्टाफ का आपराधिक पृ ठभूमि नही होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है। 5. निरीक्षण दल द्वारा अनुशसा नही की गई है। 6 समस्त दस्तावेज संस्था अध्यक्ष / सचिव से प्रमाणित नही है। 7 पदाधिकारियो की सूची अप्राप्त है। 8. प्रतिवेदन एव अभिलेख अनुसार संस्था के पास पर्याप्त भूमि / भवन नही है।	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज–116 से 175 पर सहयोजित है। 2 पदाधिकारियों एवं स्टाफ की फोटो पी–164, प्रार्थना करते फोटो पी–165, प्रयोगशाला कक्ष की फोटो, अध्यापन कक्षों की फोटो, इंडोर खेलों की फोटो एव पुस्तकालय कक्ष की फोटो पी–165 से 179 संलग्न। 3. पेयजल, विद्युत प्रसाधन का प्रमाणीकरण नस्ती के अभिलेख अनुसार पी–113 से 115 पर संलग्न। आडिट रिपोर्ट पी–39 से 40 पर संलग्न। 4. संस्था के पदाधिकारियो एव स्टाफ का आपराधिक पृ ठभूमि नही होने संबधी शपथ पत्र पी–117 पर संलग्न। पदाधिकारियों की सूची पी–125 पर संलग्न। 5 भूमि / भवन का पंजीकृत किरायानामा पी–69 से 87 पर नस्ती में संलग्न। 6 जिला स्तरीय समिति की अनुशसा नही है। प्रस्तुत दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में सभागीय सयुक्त सचालक लोक शिक्षण से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
15	शहीद भगत सिंह पब्लिक स्कूल भीलवाडिया ब्यावरा	1 विनियम अनुसार समिति पदाधिकारियों एवं स्टाफ समूह के छायाचित्र नही है। 2. पुस्तकालय कक्ष प्रयोगशाला कक्ष एव	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज–98 से 119 पर सहयोजित है। 2 आवश्यक फोटोग्राफ नस्ती मे पेज–83 से	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक मे प्रस्तुत करें।

	राजनांद	अध्यापन कक्षो के रंगीन छायाचित्र नही है। 3 छात्रो का प्रार्थना करते हुये रंगीन छायाचित्र नही है। 4 पुस्तको की सूची 3 नही है।	90 एवं 91 से 96 पर सलग्न है। पुस्तको की सूची पेज–102 पर सलग्न। पी- 75 पर मूल नस्ती पर पुनः अनुसंशा की है। जिला समिति की अनुशंसा सहित प्रस्तुत करे।	
16	जे एस कान्वेंट स्कूल भोपाल	1 संस्था की स्वय की भूमि पर भवन बनने का प्रमाणीकरण प्रस्तुत नही किया है. 2. मान्यता विनियम अनुसार शाला भवन का फोटो, समिति पदाधिकारियों का फोटो, स्टाफ का फोटो, प्रयोगशाला कक्षों की फोटो, पुस्तकालय कक्ष की फोटो, अध्यापन कक्षों की फोटो एवं छात्रों के प्रार्थना करते फोटो प्रस्तुत नही किये है। 3. वर्तमान सत्र का आडिट रिपोर्ट नही है। 4. संस्था पदाधिकारियों/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने सबधी शपथ पत्र नही दिया है। 5. पेयजल, विद्युत, प्रसाधन, सुरक्षा एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था संस्था में उपलब्ध होने का प्रमाण प्रस्तुत नही किये है। 6. प्रतिवेदन अनुसार खुली भूमि 400 वर्गफुट है जो कि विनियम अनुसार निर्धारित मापदण्ड से कम है।	2 अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज–42 से 56 पर सहयोजित है। 3 कमियो के अभिलेख की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी/संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण से कराई जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
17	श्री शंकराचार्य बाल विद्यानिकेतन झोतेश्वर गोटेगांव नरसिंहपुर	1 पदाधिकारियों की फोटो नही है, 2 विज्ञान संकाय का स्टाफ नही है। 3 दो इन्डोर खेलों की व्यवस्था नही है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज–56 से 165 पर सहयोजित है। 2 स्टाफ सूची पेज–142 पर संलग्न। पदाधिकारियों की फोटो पेज-156 पर। 3 जिला समिति से प्राप्त प्रतिवेदन को समिति के द्वारा अनुशंसित किया गया। पेज–1।	स्वीकृत
18	सरदार पटेल विद्यालय तिलगारा धार	1 संस्था के पदाधिकारियो एव स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि नही होने सबधी शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है।	1 अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज–31 से 43 पर सहयोजित है। 2 सस्था के पदाधिकारियो एव स्टाफ का	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक मे प्रस्तुत करें।

		2 संस्था के अध्यक्ष/सचिव द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित हस्ताक्षरित नही है। 3 भवन का नक्शा नही है एव प्रयोगिक उपकरणो की सूची नही है। 4 समिति पदाधिकारियो एव शिक्षकों की संस्था भवन के सामने खडे होकर खीचे गये फोटो नही है। 5. शिक्षको की सूची अप्राप्त। 6 पुस्तको की सूची अप्राप्त है। 7 दो इन्डोर खेलो के रंगीन छायाचित्र नही है। 8 भवन के आगे–पीछे का रंगीन छायाचित्र अप्राप्त है। 9 निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार फर्नीचर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सुरक्षा व अग्निशमन यत्र एवं इन्डोर खेलों की पर्याप्त व्यवस्था नही है।	आपराधिक पृष्ठभूमि नही होने सबंधी शपथ पत्र पेज 34 प्रायोगिक उपकरणो की सूची पेज–36 प्रायोगिक उपकरणो की सूची स्टाफ सूची एव पुस्तको की सुची पेज–36 से 39 पर सलग्न है। 3 पदाधिकारियों एव स्टाफ का फोटो पेज–40 पर सलग्न है। इन्डोर खेल की फोटो पेज–43 पर, भवन की फोटो पेज–41/42 पर सलग्न है। 4 सयुक्त सचालक इन्दौर से निर्धारित प्रारुप में जाच प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाये।	
19	चित्रांश कान्वेंट हाईस्कूल जीरापुर राजगढ	1. खेल मैदान हेतु खुली भूमि के पंजीकृत दस्तावेज नही है। 2. पुस्तको की सूची नही है। 3 प्रयोगशाला कक्षो के रंगीन छायाचित्र नही है। 4. प्रायोगिक उपकरणो की सूची नही है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज–78 से 107 पर सहयोजित है। 2 खेल मैदान के लिए संस्था अध्यक्ष द्वारा क्रय की गई खुली भूमि के अभिलेख मूल नस्ती मे ही पेज–22 से 29 पर संलग्न । पुस्तकों की सूची पी–96 से 99, प्रयोगशाला कक्षो की फोटो एव प्रायोगिक उपकरणों की सूची पी–100 से 107 पर संलग्न प्राप्त। 3. प्रतिवेदन जिला समिति से अनुशंसित है।	स्वीकृत
20	माँ विजासन बाल मंदिर पाडल्या माताजी सारंगपुर राजगढ	1. संस्था के भूमि/भवन के अभिलेख विनियम अनुसार पंजीकृत नही है एव भवन के निर्मित क्षेत्रफल/खुली भूमि के क्षेत्रफल की जानकारी नही है और समयावधि का उल्लेख भी नही है प्रकरण मे प्राप्त हुआ किरायानामा नोटरी का है। 2 विनियम अनुसार प्रयोगशाला कक्षो की फोटो प्राप्त नही है। 3 विनियम अनुसार पुस्तको की सूची एव प्रायोगिक उपकरणों की सूची प्राप्त नही है।	1 अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज–29 से 50 पर सहयोजित है। 2 भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा जिसमे 2000 वर्गमीटर पर निर्मित भवन है जिसमे 10 कमरे, 01 कार्यालय तथा दो टायलेट व दो बाथरूम बने हुए है, पेज–30 एवं खुली भूमि 2500 वर्गफुट पेज-42 पर सलग्न है। अनुविभागीय अधिकारी/संभागीय सयुक्त सचालक लोक शिक्षण से सत्यापन कराये।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक मे प्रस्तुत करे।

			3. पुस्तकालयों एवं प्रयोगशाला कक्ष के फोटोग्राफ पेज--49–50 पर सलग्न है एवं प्रतिवेदन के अनुसार भी प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय पर्याप्त है। प्रतिवेदन को समिति के सदस्यो द्वारा अनुशसित किया गया है पेज -3 । 4 प्रतिवेदन जिला समिति से अनुशसित है।	
21	अमन पब्लिक पोहरी शिवपुरी	1 संस्था से प्राप्त पूर्व के नक्शा में ही खुली भूमि.निर्मित क्षेत्रफल विवरण अंकित किया गया है। 2 प्राप्त पजीकृत अभिलेख पर निर्मित क्षेत्रफल खुली भूमि का उल्लेख नही है। 3 प्राप्त छायाचित्रो से भवन शाला सचालन हेतु उपयुक्त प्रतीत नही होता है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज–148 से 176 पर सहयोजित है। 2 भूमि/भवन के पजीकृत अभिलेख अनुसार कुल भूमि 19100 वर्गफुट, भवन का निर्मित क्षेत्रफल 9500 वर्गफुट एवं खुली भूमि 9600 वर्गफुट है, मूल नस्ती मे पेज–70 से 76 एवं 87 से 90 पर संलग्न। अपील अभ्यावेदन के साथ प्राप्त किरायानामा में तिथि की वृद्धि की गई। पेज--150 से 153। 3. जिला समिति के द्वारा संस्था के मान्यता प्रतिवेदन पर मान्यता देने की अनुशंसा की गई है। पेज--5	स्वीकृत
22	श्री साँई विद्या मंदिर स्कूल बीड हरदा	1 शाला भवन के ऊपर पक्की छत नही है। टीन के शेड लगाये गये है।	1 नस्ती में उपलब्ध भवन की फोटोग्राफ पेज–15 पर संलग्न एवं प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी हरदा से अनुशसित पेज–3 पर संलग्न है। संस्था मान्यता विनियम अनुसार मापदण्डों की पूर्ति करती है। 2 भवन टीन शेड निर्मित है, सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित संभागीय अधिकारी से जाच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
23	गोल्डन कैरी हाईस्कूल नण्डीदीप जिला – रायसेन	1. शाला भवन का निर्मित क्षेत्रफल मापदण्डों से कम पाया गया है। 2 समिति पदाधिकारियों की सूची नही है। 3 अग्निशमन यंत्र की छायाचित्र नही है। 4. स्टाफ पर्याप्त एवं प्रशिक्षित नही है। 5.	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज--67 से 91 पर सहयोजित है। 2 पजीकृत किराएनामा अनुसार भवन का निर्मित क्षेत्रफल 7200 वर्गफुट पेज–71, अनुविभागीय अधिकारी/संभागीय सयुक्त	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।

		संस्था के पदाधिकारियो एव स्टाफ का अपराधिक पृष्ठभूमि नही होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है।	संचालक लोक शिक्षण से सत्यापन कराये। समिति पदाधिकारियो की सूची पेज–87 अग्निशमन यंत्र की फोटो पेज 88, स्टाफ सूची पेज–89 पर संलग्न। 4 संस्था के पदाधिकारियों एव स्टाफ का अपराधिक पृष्ठभूमि नही होने संबंधी शपथ पेज 90 से 91 पर सलग्न।	
24	आक्सफोर्ड स्कूल कोलार रोड भोपाल	प्रकरण मे कलेक्टर जिला भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्र.–82 दिनाक 09.04.2013 प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि विशेष सहायक मान. मंत्री स्कूल शिक्षा एव जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल को प्रेषित कर जिला समिति का प्रतिवेदन चाहा गया है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज–45 से 75 पर सहयोजित है। 2 अनुविभागीय अधिकारी से अनुशंसित मान्यता प्रतिवेदन पेज–48 पर संलग्न है। 3 जिला स्तरीय समिति से प्रतिवेदन लिया जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक मे प्रस्तुत करें।
25	विद्या निकेतन विद्यालय बरेली जिला – रायसेन	संस्था से प्राप्त किरायानामे मे संस्था के पास कुल भूखण्ड, खुली भूमि एवं निर्मित क्षेत्रफल के संबंध में जानकारी अंकित नही है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज–132 से 196 पर सहयोजित है। 2 संस्था द्वारा कमियों की त्रुटिपूर्ति कर दी गई है। 3. अनुविभागीय अधिकारी एव जिला समिति द्वारा प्रतिवेदन अनुशंसित है।	स्वीकृत
26	सरस्वती संस्कार मंदिर हाईस्कूल पैपखार रीवा	1. भवन खपरैल है। 2 प्रयोगशाला की फोटो अप्राप्त है। 3 पुस्तको की सूची अप्राप्त है। 4. फर्नीचर सूची नही है। 5. प्रसाधन एव इन्डोर खेल के फोटो नही है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज–110 से 131 पर सहयोजित है। 2. प्रतिवेदन के अनुसार भूमि/भवन को पर्याप्त बताया है, प्रयोगशाला एव पुस्तकालय पर्याप्त है एव जिला समिति के द्वारा प्रतिवेदन पर मान्यता देने की अनुशंसा की गई है नस्ती मे पी/सी–3/4 3. संयुक्त सचालक लोक शिक्षण रीवा से वस्तुस्थिति का जांच प्रतिवेदन लिया जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक मे प्रस्तुत करें।
27	कमला सागर स्कूल भैसोदा नलखेडा शाजापुर	सत्र 2012–13 में कक्षा 9वी एव सत्र 2013–14 में 10वी की नवीन मान्यता यथावत रखते हुए संस्था की कक्षा 11वीं सत्र 2013–14 एव 12वीं सत्र 2014–15 की नवीन मान्यता निरस्त की गई है।	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज–135 से 169 पर सहयोजित है। 2 मान्यता विनियम 2010 मे एक साथ दो कक्षाओ की नवीन मान्यता नही देने के संबध मे स्थिति स्पष्ट नही की गई है।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक मे प्रस्तुत करे।

		संस्था की एक सत्र में एक समय दो कक्षा संचालन करने के कारण	उपरोक्त प्रकार के अन्य किसी प्रकरण मे मण्डल के द्वारा यदि किसी संस्था को मान्यता प्रदान की गई अथवा मान्यता निरस्त की गई हो जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत करें।	
28	प्रगति विद्यापीठ हाईस्कूल फाटक की बाड़ी हरदा	शाला भवन के आगे पीछे के भाग का रंगीन छायाचित्र नही। सत्र 2011-12 की आडिट रिपोर्ट नहीं। संस्था पदाधिकारियो/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबधी शपथ पत्र नही है।	1 अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज-38 से 44 पर सहयोजित है। 2 शाला भवन का फोटो पेज-43/44 पर, आडिट रिपोर्ट पेज-41/42 पर है। 3 संस्था पदाधिकारियो/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने सबंधी शपथ पत्र सलग्न पेज-40। 4 सुरक्षा की दृष्टि से जिला स्तरीय समिति द्वारा अंकित टीप के संबध मे संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण से प्रतिवेदन लिया जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक मे प्रस्तुत करें।
29	सोल्जर्स अकादमी हाईस्कूल जौरा मुरैना	भूमि/भवन संबधी दस्तावेज पूर्ण समयावधि के नही है एव समिति के नाम नही है। शाला भवन, प्रयोगशाला कक्ष के रंगीन छायाचित्र नही है। आडिट रिपोर्ट नही है। संस्था पदाधिकारियो/स्टाफ का आपराधिक पृष्टभूमि न होने संबधी शपथ पत्र नही है। स्टाफ समूह के शाला भवन के सामने खीचे गये रंगीन छायाचित्र नही है। फर्नीचर सूची नही है।	1 अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज-78 से 109 पर सहयोजित है। 2 समिति के नाम भूमि/भवन का पंजीकृत किरायानामा पेज-87 से 91 सलग्न। उपरोक्त पंजीकृत अभिलेखों को अनुविभागीय अधिकारी/संभागीय सयुक्त संचालक लोक शिक्षण से सत्यापन कराये। आवश्यक फोटोग्राफ पेज 92 से 102 पर संलग्न, आडिट रिपोर्ट पेज-85 संस्था पदाधिकारियो/स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने सबंधी शपथ पत्र पेज-103 पर सलग्न। फर्नीचर सूची पेज-107 पर।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
30	आदर्श जनता उ मा वि अतरैला रीवा	भूमि भवन खुली भूमि का पंजीकृत अभिलेख नही है। निर्मित भवन शासन की भूमि पर है। विज्ञान सकाय हेतु प्रयोगशाला का चित्र स्पष्ट नही है। विद्यालय के छायाचित्र स्पष्ट नही है। जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा नही	1 अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज-65 से 82 पर सहयोजित है। 2 भूमि/भवन के पंजीकृत किरायानामा पेज-66 से 73 पर सलग्न है। 3 प्रतिवेदन अनुसार भवन शासकीय भूमि पर है इस कारण से अनुविभागीय	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

		है	अधिकारी / सभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण से पुष्टि कराई जावे	
31	[illegible] प्रज्ञोदय [illegible] स्कूल [illegible] नगर [illegible]	अध्ययनरत छात्रो के [illegible] हुए रंगीन छायाचित्र नहीं हैं [illegible] पुस्तकालय कक्षो के रंगीन [illegible] नही हैं	1 अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज–118 से 158 पर सहयोजित है। 2 अध्ययनरत छात्रो का प्रार्थना करते हुए फोटो पेज–147 पर सलग्न प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय के फोटो पेज–148 / 149 पर संलग्न। 3 जिला समिति से प्रतिवेदन लिया जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक मे प्रस्तुत करे
32	श्री विद्या निकेतन स्कूल सीहोर रोड बैरागढ़ भोपाल	पुस्तको की सूची नही, कर्नोकर की सूची नही, हायर सेकण्डरी के मान्यता से पृथक–पृथक प्रयोगशाला कक्ष के रंगीन छायाचित्र नही, इन्डोर खेलों के छायाचित्र नही, संस्था पदाधिकारियों / स्टाफ का आपराधिक पृष्ठभूमि न होने संबंधी शपथ पत्र नही है, आवेदन के साथ सलग्न दस्तावेज समिति अध्यक्ष / सचिव से प्रमाणित नही।	1 मंडल के स्तर पर प्रकरण निराकृत नही हुआ है। निराकृत कर प्रस्तुत करे।	तदनुसार कार्यवाही कर वस्तुस्थिति आगामी बैठक मे प्रस्तुत करे।
33	डॉ. राममनोहर लोहिया हाईस्कूल भोपाल	अपील समिति की बैठक दिनांक 11.06.2013 के पालन मे सस्था / एस.डी.एम. से भूमि / भवन के पंजीकृत अभिलेखों की पुष्टि हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।	1. अपील अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज–120 से 127 पर सहयोजित है। 2 भूमि / भवन के अभिलेखों का सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी / संभागीय संयुक्त सचालक लोक शिक्षण से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्तुत की जाये।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक मे प्रस्तुत करे
34	रेड रोज इंग्लिश मिडियम सिविल लाईन बैतूल	भूमि / भवन संबंधी पंजीकृत दस्तावेजों मे भवन के निर्मित एवं खुली भूमि के क्षेत्रफल की स्पष्ट जानकारी नहीं। पुस्तकालय कक्ष के रगीन छायाचित्र एवं पुस्तको की सूची नही। इन्डोर खेल की व्यवस्था नही। समिति पदाधिकारियो एवं स्टाफ समूह के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत नही है।	1 मंडल के स्तर पर प्रकरण निराकृत नही हुआ है। निराकृत कर प्रस्तुत करे।	तदनुसार कार्यवाही कर वस्तुस्थिति आगामी बैठक मे प्रस्तुत करे।

			शपथ पत्र प्राप्त है पेज–48। 5 जिला समिति से अनुशसित।	
35	न्यू लिटिल फ्लावर इंग्लिश स्कूल टोंकखुर्द देवास	1. समिति पदाधिकारियों एव स्टाफ समूह के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत नही है। 2 भूमि/भवन सबंधी प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों मे खुली भूमि की पुष्टि नही है।	1 अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज 74 से 80 पर सहयोजित है। 2 समिति पदाधिकारियो एव स्टाफ समूह के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने का शपथ पत्र प्राप्त पेज–80। 3 किरायानामा के अनुसार 22500 वर्गफुट कुल भूमि है पेज–24 एव प्रतिवेदन मे स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भवन का निर्मित क्षेत्रफल 2500 वर्गफुट एव खुली भूमि 20000 वर्गफुट है पेज–1। 4 जिला समिति से अनुशसित।	स्वीकृत
36	रायल हाईटस हाईस्कूल जीरापुर राजगढ	अपील समिति की बैठक दिनाक 11.06. 2013 के पालन मे सस्था/एस.डी.एम. से भूमि/भवन के पंजीकृत अभिलेखों की पुष्टि हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।	1. अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज–155 से 162 पर सहयोजित है। 2 अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा भूमि/भवन के किरायानामा को सत्यापित किया गया है पेज–155 से 162।	स्वीकृत
37	न्यू नर्मदा वैदिक स्कूल ओबेदुल्लागंज रायसेन	अपील समिति की बैठक दिनाक 11.06 2013 के पालन में सस्था/एस.डी.एम. से भूमि/भवन के पजीकृत अभिलेखों की पुष्टि हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।	1 अपील अभ्यावेदन एव सहपत्र पेज–109 से 110 पर सहयोजित है। 2 भूमि/भवन के पजीकृत किरायानामा का सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी/सभागीय सयुक्त सचालक लोक शिक्षण से कराने के लिए पत्र प्रेषित किया गया था पेज–108। 3 अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभिलेखो का सत्यापन इस आधार पर नही किया गया है कि सत्यापन किए जाने के सबध मे निर्देशो का उल्लेख नही है। 4. सस्था मान्यता मापदण्डो की पूर्ति करती है एव प्रतिवेदन को जिला समिति और अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अनुशंसित किया गया है पेज–4 5 सयुक्त सचालक लोक शिक्षण भोपाल सभाग से सत्यापन कराया जाकर प्रस्तुत करे।	तदनुसार कार्यवाही कर प्रकरण आगामी बैठक मे प्रस्तुत करे।

38	द [illegible] स्कूल विदिशा	संस्था का निर्मित भवन एवं खुली भूमि पृथक–पृथक स्थानो पर है। खुली भूमि का किरायानामा 2014 तक है जो कि नियम 2 अनुसार कम अवधि का है।	अपीलीय अभ्यावेदन एवं सहपत्र पेज 111 से 132 पर सहयोजित है। भूमि/भवन के पंजीकृत किरायानामा नस्ती मे सलग्न है। खुली भूमि के किरायानामे की अवधि में वृद्धि की गई है।	स्वीकृत

1 कार्यवाही विवरण को मंडल की वेवसाइट पर अपलोड करे।

2 जिन प्रकरणों मे अनुविभागीय अधिकारी से भूमि/भवन के किरायानामो एवं प्रतिवेदन का सत्यापन प्राप्त नही हुआ है उन सस्थाओ के अभिलेखो की पुष्टि सभागीय सयुक्त सचालक लोक शिक्षण से कराने की कार्यवाही के लिए पत्र प्रेषित किए जाए।

3 मडल में विचाराधीन नवीन मान्यता के प्रकरणों को 15 जुलाई 2013 तक निराकृत कर वेवसाइट पर अपलोड करे।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा
मण्डल

आर. तिवारी
राजेश तिवारी
सदस्य
अपील समिति

ममता सिंह
सदस्य
अपील समिति

आयुक्त
लोक शिक्षण

प्रमुख सचिव
स्कूल शिक्षा

अध्यक्ष
अपील समिति